–

प्रेस नोट **दिनांक 29.10.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना बिनौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम षेखपुरा में युवक की हत्या में नामित सभी 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल तमंचा बरामद।**

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता :–

1–रविकांत उर्फ रेबिन उर्फ रोबिन पुत्र इन्द्रपाल निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।
2–अमित उर्फ मीत पुत्र इन्द्रपाल निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।
3–गर्व पुत्र बिट्टू निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।
4–राहुल पुत्र कयूम निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।

- **बरामदगी का विवरण –**

आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

- **घटना का संक्षिप्त विवरण :–**

दिनांक 28.10.2020 को वादी सुमेर पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम षेखपुरा थाना बिनौली ने थाना आकर लिखित सूचना दी कि अभियुक्तो द्वारा प्रार्थी की टयूबवैल के चबूतरे को गिराने का विरोध करने पर उसके भाई सोनू की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0स0 311/2020 धारा 302 भादिव बनाम 1–रविकांत उर्फ रेबिन उर्फ रोबिन 2–अमित उर्फ मीत पुत्र गण इंद्रपाल 3–गर्व पुत्र बिट्टू 4–राहुल पुत्र कयूम निवासी गण कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत पंजीकृत किया गया।

- **पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही :–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के आदेशानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी बागपत के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.10.2020 को सुबह समय करीब 08:00 बजे मुखबिर की सूचना पर जिवाना–रन्छाड़ चौराहा से अभियुक्त 1–रविकांत उर्फ रेबिन उर्फ रोबिन 2–अमित उर्फ मीत पुत्र गण इंद्रपाल 3–गर्व पुत्र बिट्टू निवासी गण कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत व ग्राम दरकावदा तिराहा से समय करीब 12:45 बजे अभियुक्त राहुल पुत्र कयूम निवासी गण कस्बा व थाना बिनौली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रविकांत उर्फ रेबिन उर्फ रोबिन पुत्र इंद्रपाल निवासी कस्बा थाना बिनौली जनपद बागपत के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

- **पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य :–**

पूछताछ पर अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 28.10.2020 को समय करीब 19:30 बजे हम लोग जेसीबी लेकर अपनी साझे की टयूबवैल के चबूतरे के सामने पडी मिटटी को अपने खेत में मिलाने के लिये टयूबवैल पर पहुचें तो वहां पर पहले से ही मौजूद मृतक सोनू पुत्र सुबेदीन द्वारा हमें मिटटी फैलाने से मना किया। व मृतक सोनू हमें गाली गलौच करने लगा, जिससे आवेष में आकर राहुल व गर्व ने सोनू को पकड लिया तथा रोबिन व अमित ने तमंचे से सोनू के सिर में गोली मार दी जिससे सोनू की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

- **थाना बडौत पुलिस द्वारा जुआ अधिनियम 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ताष के 52 पत्ते व 1150 रूपये नगद बरामद।**

थाना बडौत–पुलिस द्वारा दिनांक 28.10.2020 को ग्राम बावली से सार्वजनिक स्थान पर ताष के पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए अभियुक्त 1–सोनू पुत्र माहवीर 2–विकास पुत्र लक्ष्मण 3–आनन्द पुत्र धर्मपाल 4–सतीष पुत्र नरेष निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत

को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से ताष के 52 पत्ते व 1150 रूपये नगद बरामद किये गये। अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **जनपद बागपत पुलिस द्वारा 07 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना सि0अहीर–पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.10.20 को मु0अ0स0 340/2020 धारा 458,323,504,506,352,336 भादवि में वाछित अभियुक्त 1–आजाद पुत्र ईसब 2–सरताज पुत्र आजाद 3–शाहिल पुत्र आजाद नि0गण ग्राम व थाना सि0अहीर व मु0अ0स0 355/2020 धारा 323,504,506,325,308 भादवि में वाछित अभियुक्त 1–शहजाद पुत्र युसुफ 2–अलाऊद्दीन पुत्र युसुफ नि0गण ग्राम व थाना सिघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्व थाना सि0अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना छपरौली–पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.10.20 को मु0अ0स0 328/2020 धारा 452,354 भादवि में वाछित अभियुक्त 1–चांदा उर्फ चांदवीर निवासी ग्राम षबगा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बिनौली–पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.10.20 को मु0अ0स0 312/2020 धारा 323,504,506 भादवि में वाछित अभियुक्त 1–षिवकुमार पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम माखर थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्व थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।